पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
चिकित्सा निदेशक
ल0ना0मि0रेलवे चिकित्सालय
गोरखपुर

हाउस आफीसर/जू. रेजिडेन्ट के चयन प्रकिया की अधिसूचना

ल0ना0मिश्र रेलवे चिकित्सालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर में विभिन्न चिकित्सा विषयों में हाउस आफिसर/जू. रेजिडेन्ट के 12 (बारह) पद स्वीकृत है। जिस पर रिक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में रिक्ति का विज्ञापन पूर्वोत्तर रेलवे के वेब साइट **www.ner.indianrailways.gov.in** जारी किया जाता है।

इसके लिए पात्रता एवं शर्ते निम्नवत है :-

1- पात्रता –

(क) अभ्यर्थी को एम0सी0आई0 से किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज से साक्षात्कार तिथि तक एम0बी0बी0एस0 (M.B.B.S.) उत्तीर्ण होना है तथा एक वर्ष की कम्पलसरी इटर्नशिप पूर्ण हो चुकना अनिवार्य है।

(ख) दिनांक **1-1-2021** को अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अन्य पिछड़ी जाति के लिये 3 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

2– चयन प्रकिया –

(क) वाक–इन–इन्टरब्यू के आधार पर साक्षात्कार।

(ख) i- एम0बी0बी0एस0 (M.B.B.S.) के प्राप्तांक के आधार पर – 50 अंक।
ii- अन्तिम सभी एम0बी0बी0एस0 (M.B.B.S.) में प्रयास पर। – 05 अंक।
iii- मौखिक परीक्षा। – 30 अंक।
iv- व्यक्तित्व सामान्य ज्ञान हेतु। – 15 अंक।

3– मानदेय –

हाउस आफीसर को उ0प्र0 सरकार द्वारा हाउस जाब या मेडिकल रेजिडेन्ट प्रथम वर्ष जो लागू हो, के अनुसार मानदेय देय होगा।

4– साक्षात्कार हेतु आवश्यक दस्तावेज – निम्न दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवश्य लायें, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा :–

(क) 10+2 के समकक्ष परीक्षा का अंकपत्र/प्रमाणपत्र।
(ख) एम0बी0बी0एस0 डिग्री/प्रमाण पत्र।
(ग) एम0बी0बी0एस0 के सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि।
(घ) जाति प्रमाण पत्र–अनु0जाति/अनु0 जन जाति/ओ०बी०सी० अभ्यर्थियों के लिये।
(ङ.) मेडिकल कॉउसिल आफ इण्डिया में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।
(च) एम0बी0बी0एस0 पश्चात अन्यत्र कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र।

5– अन्य सम्बन्धित विवरण –

(क) चयनित अभ्यर्थी को ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय, गोरखपुर (उ0प्र0) में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(ख) हाउस जाब का सत्र नियुक्ति तिथि से एक वर्ष के लिये होगा। प्रत्येक छः माह पर कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा। कार्य सन्तोषजनक होने पर अवधि विस्तार भी किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में 02 वर्ष से अधिक नही होगा। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को चयनित अभ्यर्थी के समयावधि में रिपोर्ट न करने पर अथवा उसी माह अगली रिक्ति होने पर ही आफर दिया जायेगा।

(ग) साक्षात्कार हेतु या कार्यभार ग्रहण करने हेतु आने जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या अन्य कोई भी सुविधा देय नही होगी।

(घ) चयनित अभ्यर्थियों को हाउस जाब हेतु निर्धारित नियमों व शर्तो के पालन हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) हाउस आफिसर को किसी भी प्रकार की प्राईवेट प्रेक्टिस की अनुमति नही होगी।

(च) आवास, अवकाश, चिकित्सा सुविधा व रेलवे पास आदि से संबंधित हाउस आफिसरों के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी वर्तमान नियम इन पर लागू होगें।

(छ) किसी भी पक्ष (प्रशासन या अभ्यर्थी) द्वारा चौदह दिन की सूचना पर हाउस जाब समाप्त किया जा सकता है।

(डा० [illegible] किशोर प्रसाद)
अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/प्रशासन
कृते चिकित्सा निदेशक

सं0 ईएच/हाउस आफीसर/चयन/2018–19

दिनॉक 05–02–2021

Scanned with CamScanner